ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.121 / 2019 दिनांक–17.12.19

सरकार बनाम ओमी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चर्तुभूज ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660 / 20.0है0 किस्म गै0मु0 भूमि मेंसे 0.76 है0 पर ओमी पुत्र रामचन्द जाति माली निवासी चर्तुभुज तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत व मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायलान ने अपने जबाब मे कथन किया है कि गैर सायल का आराजी खसरा नंबर 660 वाके ग्राम चतुर्भुज से कोई लेना देना नहीं है। गैर सायल नदी में बानसूर की तरफ खेडा(आलमपुर) में खदीदी हुई भूमि पर काबिज है जो खेडा तन में पडती है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसाल ओमी पुत्र रामचन्द्र जाति माली द्वारा वाके ग्राम चर्तुभुज के खसरा नंबर 660है0 किस्म जमीन सिवायचक बजंड भूमि मेंसे 0.76है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः ओमी पुत्र रामचन्द्र जाति माली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660 / 20.0है0,किस्म सिवायचक मे से 0.76है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर की गई जोत व मकान को ध्वस्त कियाजाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 2 रू. का पचास गुणा 100 रू

तहसीलदार
कोटपूतली (जय॰)

अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे।

निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 17.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपुतली (जय

सन 200 . 0...... के रा० स० 4
व पृष्ठ संख्या ......पर.......
रुपये का ... किये गये।

राजस्व लेखाकार
कोटपुतली